सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या-83/2016/1507/सैंतीस-2-2016-30(61)/14टी.सी.-।

प्रेषक,

दीपक सिंघल,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-13 जुलाई, 2016

विषयः- **कामधेनु/कुक्कुट विकास नीति का प्रभावी/समयबद्ध क्रियान्वयन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-39/सैंतीस-2-2016-30(61)/14टी.सी.-।, दिनांक-23.02.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से पशुपालन विभाग द्वारा संचालित कामधेनु डेयरी योजना/कुक्कुट विकास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपने स्तर पर विभागीय/बैंकों के अधिकारियों तथा संबंधित लाभार्थियों के साथ माह में कम से कम एक बार समीक्षा बैठक कर बैंकों में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किये जाने तथा ऋण स्वीकृत होने वाली इकाइयों को शीघ्र ऋण अवमुक्त कराने हेतु निर्देश दिये गये थे।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि उपरोक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी कतिपय मण्डलों/जनपदों में संदर्भगत बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं, फलस्वरूप बैंकों से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण इकाइयों को अपेक्षाकृत कम संख्या में ऋण स्वीकृत हो रहे हैं तथा उनकी क्रियाशीलता की प्रगति भी अत्यन्त न्यून है। योजनाओं का सूक्ष्म अनुश्रवण किये जाने से यह आभास हो रहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के आगामी माहों में उक्त योजनाओं, विशेषकर माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना में समय की कमी को देखते हुये निर्धारित लक्ष्यों को समयान्तर्गत प्राप्त किया जाना अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। यह तभी सम्भव हो पायेगा, जब मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों द्वारा अपने मण्डलों/जनपदों में उक्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, विभागीय अधिकारियों, बैंकर्स तथा संबंधित लाभार्थियों के साथ माह में कम से कम एक बार की जाय ताकि निर्धारित अवधि में ऋण स्वीकृति/धनराशि को अवमुक्त करा कर इकाइयों को क्रियाशील किया जा सके।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये अनिवार्य रूप से योजनान्तर्गत माह में कम से कम एक बार विभागीय/बैंकों के अधिकारियों तथा लाभार्थियों के साथ बैठक कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(दीपक सिंघल)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>पृ0सं0-83/2016/1507(1)/सैंतीस-2-2016- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं अनुश्रवण हेतु।
2. समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने मण्डल/जनपद में मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।